भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2672

दिनांक 07.08.2024 को उत्तर देने के लिए

आंध्र प्रदेश के खनन क्षेत्र में तकनीकी प्रगति

†2672. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षता और सुरक्षा में सुधार लाने के लिए आन्ध्र-प्रदेश में खनन प्रौद्योगिकी में कार्यान्वित की गई विशिष्ट प्रगति का ब्यौरा क्या है और इन प्रौद्योगिकियों के नाम और अनुप्रयोग क्या हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में खनन- प्रौद्योगिकी हेतु अनुसंधान एवं विकास में कुल निवेश का ब्यौरा क्या है तथा वित्तपोषित विशिष्ट अनुसंधान-क्षेत्र कौन से हैं;

(ग) आन्ध्र प्रदेश में खनन-नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग का ब्यौरा क्या है और संस्थानों के नाम तथा सहयोग के स्वरूप सहित तत्संबंधी परिणाम क्या हैं;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र-प्रदेश में खनन क्षेत्र में कामगारों के लिए, विशेषकर नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के संबंध में, कितने प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा कितने कामगारों को प्रशिक्षित किया गया; और

(ङ) आन्ध्र-प्रदेश में खनन क्षेत्र में उत्पादकता और सुरक्षा पर इस प्रौद्योगिकीय प्रगति का कितना प्रभाव पड़ा है तथा उत्पादन और दुर्घटना-दर में कितना परिवर्तन हुआ है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार तकनीकी परिपत्र जारी कर, वैज्ञानिक अध्ययन की सिफारिश कर, खानों में उपकरणों, उपस्कर और सामग्रियों के सुरक्षित उपयोग के लिए अनुमोदन/अनुमति/छूट देकर खानों में उन्नत प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करता है। आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में खनन प्रौद्योगिकी में विभिन्न उन्नत तकनीकों जैसे स्वचालित

अग्नि संसूचन और शमन प्रणाली (एएफडीएसएस), नम वेधन प्रौद्योगिकी, नियंत्रित विस्फोटन तकनीक, सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी), मैसर्स आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम लिमिटेड की मंगमपेट बैराइट्स खान जैसी बड़ी ओपन कास्ट खानों में कार्य स्थल मिश्रण इमल्शन (एसएमई) विस्फोटकों की शुरूआत, ओपन कास्ट खानों में खनिज/कोयला की ढुलाई के लिए उच्च क्षमता वाले डम्परों की शुरूआत, ग्रेनाइट ब्लॉकों आदि के निष्कर्षण के लिए बड़ी ओपन कास्ट खानों के लिए तार आरी कटाई मशीनों की शुरूआत, को दक्षता और सुरक्षा दोनों को बढ़ाने के लिए लागू किया गया है।

(ख) और **(ग)** खान मंत्रालय, भारत सरकार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, निजी क्षेत्र के स्टार्टअप्स को खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अनुसंधान एवं विकास घटक के अंतर्गत अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सहायता अनुदान प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र और उसके लोगों के लाभ के लिए अनुप्रयुक्त भूविज्ञान, खनिज गवेषण, खनन और संबद्ध क्षेत्रों, खनिज प्रसंस्करण, देश के खनिज संसाधनों के इष्टतम उपयोग और संरक्षण में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। खान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं आंध्र प्रदेश सहित देश भर में उत्पादकता बढ़ाने और खान सुरक्षा को बढ़ावा देने के निमित्त हैं। खनन और धातुकर्म क्षेत्र में उत्पादकता, दक्षता और सुरक्षा में सुधार करने के लिए, 2018-19 से 2023-24 के दौरान देश में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए खान मंत्रालय द्वारा कुल 39.13 करोड़ रुपये जारी किए गए।

(घ) खान अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत बनाए गए खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966 के अंतर्गत प्रशिक्षण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। प्रावधानों के अनुसार, खान कामगारों को खान में काम पर लगाए जाने से पहले खान व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है; उनके कौशल को उपयुक्त रूप से विकसित और अद्यतन करने तथा उन्हें बदलते वातावरण और परिस्थितियों से निपटने के लिए अधिक सक्षम बनाने के लिए हर पांच वर्ष के बाद पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है; और चयनित श्रेणी के कामगारों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के खनन क्षेत्र में कामगारों
को दिए गए प्रशिक्षण का ब्योरा अनुबंध-**I** में दिया गया है ।

(ङ) उपरोक्त पैरा (क) में उल्लिखित नवीनतम प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन और खनन क्षेत्र में विभिन्न डिजिटल पहल जैसे खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) और ड्रोन डेटा प्रबंधन प्रणाली (डीडीएमएस) की शुरूआत से आंध्र प्रदेश सहित देश भर में खानों में उत्पादकता, दक्षता और सुरक्षा में सुधार हुआ है।

******

अनुबंध- **I**

आंध्र प्रदेश के खनन क्षेत्र में कामगारों के लिए आयोजित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का ब्योरा

i) आंध्र प्रदेश के खान प्रबंधन द्वारा डीजीएमएस को प्रस्तुत वार्षिक विवरणी के अनुसार खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम,1966 के प्रावधानों के अनुसार कार्मिकों को 2019 से दिए गए प्रशिक्षण का ब्योरा निम्नानुसार है:

वर्ष	व्यावसायिक प्रशिक्षण (विभागीय)	पुनश्चर्या प्रशिक्षण (विभागीय)	व्यावसायिक प्रशिक्षण (संविदात्मक)	पुनश्चर्या प्रशिक्षण (संविदात्मक)	खानों की संख्या (प्रस्तुत वार्षिक विवरणी)
2019	1358	341	1090	225	182
2020	1200	443	845	286	198
2021	1501	710	1335	442	190
2022	1291	520	2734	1734	213
2023	1568	214	1761	678	254

ii) इसके अलावा, खान मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, प्रशिक्षण संस्थान (जीएसआईटीआई) ने आंध्र प्रदेश के खान एवं भूविज्ञान विभाग के 43 अधिकारियों को भूवैज्ञानिक मानचित्रण, आपदा प्रबंधन के लिए दूर संवेदन और जीआईएस के उपयोग, महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों सहित विभिन्न खनिज वस्तुओं के लिए खनिज गवेषण तकनीक, संरचनात्मक भूविज्ञान और राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी (एनजीडीआर) पोर्टल के उपयोग पर प्रशिक्षण दिया है। खान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) ने भी खानों की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से हैदराबाद में खनन उद्योग के अधिकारियों के लिए 24-25 जनवरी 2020, 11-12 अक्टूबर, 2022 और 13 अक्टूबर 2023 को स्टार रेटिंग टेम्पलेट दाखिल करने में प्रशिक्षण/ क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।